

भाग 1]

भोपाल दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ-1-32/2018/सात-6 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 01 जनवरी, 2019 से, जिला मंदसौर की तहसील मंदसौर की सीमाएं, उसमें से, पटवारी हल्का क्र. 07 से 13 एवं 21 से 33 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील मंदसौर के पटवारी हल्का क्र. 07 से 13 एवं 21 से 33 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील मंदसौर नगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 20 पटवारी हल्के होंगे और 50 ग्राम समाविष्ट होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय मंदसौर में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ 1-32/2018/सात/शा.6 भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-32/2018/सात-6 दिनांक /7-12.2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal dated 17th December 2018

No. F 1-32/2018/VII/6 In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Mandsaur of District Mandsaur from the 1st January, 2019, by excluding therefrom Patwari Halka No. 07 to 13 and 21 to 33 and creates a new Tehsil Mandsaur Nagar by comprising of Patwari Halka No. 07 to 13 and 21 to 33 of Tehsil Mandsaur, in which the total patwari Halkas shall be 20 and villages Shall be 50. The headquarter of the said Tehsil shall be at Mandsaur.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

Hari Ranjan Rao, Principal Secretary.